U.P. GOVERNMENT
PROTOCOL

संख्या- 645-प्रो0/51-2012-20(01)/2012

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 06 मार्च, 2012

विषयः रिट पिटीशन संख्या- 1893(एस/बी) ऑफ 2011 संजय दुबे बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली 2011 के अन्तर्गत अन्य राज्यों के मा0 उच्च न्यायालयों के मा0 न्यायमूर्तिगण के उत्तर प्रदेश में पधारने पर उन्हें राज्य अतिथि की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रकरण में उपर्युक्त वाद में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-02-2012 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किया है:-

"We have heard learned counsel for parties and perused the pleadings of writ petition.

On due consideration of rival submissions, in continuation of our earlier order dated 09-01-2012, we clarify that the courtesy to Hon'ble Judges of High Courts visiting State of U.P. shall be extended on reciprocal basis, which, however, shall be relaxed in given cases, on the orders for extending of courtesy passed by Hon'ble the Chief Justice/Senior Judge.

Let a copy of this order issue today to the learned counsel for parties for immediate compliance.

List the matter on the date already fixed.

Interim order, if any, to continue till then."

2- मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा अन्य राज्यों के मा0 उच्च न्यायालयों के मा0 न्यायमूर्तिगण को उत्तर प्रदेश में भ्रमण के दौरान पारस्परिक आधार पर (on reciprocal basis) राज्य अतिथि घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अन्य राज्यों के मा0 उच्च न्यायालयों के मा0 न्यायमूर्तिगण के उत्तर प्रदेश में पधारने पर पारस्परिक आधार पर राज्य अतिथि की सुविधा उ0प्र0 राज्य अतिथि

नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की ज[redacted] को कतिपय मामलों में मा0 मुख्य न्यायाधीश/वरिष्ट न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ द्वारा राज्य अतिथि के प्रदान किए जाने के आदेशों के उपरान्त ही शिथिल किया जा सकेगा।

4 अन्य राज्यों द्वारा अन्य प्रदेशों के मा0 उच्च न्यायालयों के मा0 न्यायाधीश को उक्त राज्यों में भ्रमण के दौरान दी जाने वाली सुविधा की सूची संलग्न है।

5- सुरक्षा व्यवस्था शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार ही सम्पन्न की जायेगी।

6- आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल),
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल।

संख्या-645 (1)-प्रो0/51-2012-20(01)/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक
2- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी/गृह/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निबन्धक, अन्य राज्यों के मा0 उच्च न्यायालय
4- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अन्य राज्यों के मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्तिगणों के प्रदेश से सम्बन्धित भ्रमण कार्यक्रम भेजते समय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-02-2012 के अनुपालन में आवश्यकतानुसार मा0 मुख्य न्यायाधीश/वरिष्ट न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करके पारस्परिक आधार अथवा राज्य आतिथ्य दिए जाने अथवा भुगतान पर व्यवस्था का उल्लेख अवश्य करने का कष्ट करें ताकि मा0 न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
5- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन, नयी दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0।
9- सचिवालय नियंत्रण कक्ष, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
उप सचिव